



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़  
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-271/ 2688

रायपुर, दिनांक 07/12/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- **Proposal for diversion of Additional 43.942 Ha Revenue Forest Land of Kusmunda OC Expansion Project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh.**

**Registration No. FP/CG/MIN/41604/2019**

- संदर्भ:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /F.No. 8-08 / 2018-FC (pt) दिनांक 01.09.2023
  2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-20/2023/ 10-02 दिनांक 22.09.2023
  3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक/ 3341 दिनांक 07.12.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.09.2023 द्वारा 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र-2 से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र -3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

S.No.	Additional Query	Compliance
1	The Ministry granted approval to 402.966 Ha of forest land on 26.04.2018 which is linked to the instant proposal. In this regard the State govt. is requested to provide the updated status of progress of compliance of the conditions stipulated in Stage-I approval letter	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार रकबा 402.966 हे. का प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन संलग्न है। अनुलग्नक -1 से 4
2	Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Progressive Mine Closure Plans and gaps if any, shall be intimated by the State Govt. Further, in case of instant proposal, the details of	वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल द्वारा दिनांक 08.10.2023 को जांच किया गया जांच उपरांत उक्त क्षेत्र में रिक्लेमेशन में कोई गैप नहीं पाया गया है। आवेदक विभाग द्वारा प्राप्त अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति संलग्न है। अनुलग्नक -5

	proposed reclamation/back-filled area at the end of mine life has not been given in the project report. The same needs clarification																															
3	The State Govt. shall provide the details of safety zone of the mining leases (along with KML files) as per the para 7.9 of chapter 7 of Handbook of guidelines issued by this Ministry in 2019. Further, details of 1.5 times afforestation need to be submitted along with complete detail of supporting attributes such as afforestation scheme, suitability certificate, KML files, etc	<p>वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल द्वारा दिनांक 08.10.2023 को सेफ्टीजोन का निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदक संस्था द्वारा कुल 22 कि.मी.(16.44 हे.) में सेफ्टीजोन तैयार किया जायेगा जिसमें से 7 कि.मी. कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 15 कि.मी. शेष है। सेफ्टीजोन का कार्य योजना संलग्न है।</p> <p><b>अनुलग्नक -6</b> सेफ्टीजोन के 1.5 गुना वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु (16.44 हे. X 1.5 24.66 हे.) के लिये आवेदक संस्थान ने पूर्व में प्रेषित 402.966 हे. प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त प्रतिवेदन में अतिरिक्त 34.237 हे. भूमि जमा की गई थी जिसका खसरावार विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Division</th> <th>Range</th> <th>Compartment No.</th> <th>CA Area (Ha)</th> <th>Area reported suitable for CA (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">For 402.966 Ha Revenue Forest Diversion proposal (Stage-I FC No. 8-08/2018-FC) dated 26.04.2018</td> </tr> <tr> <td>Janjgir-Champa</td> <td>Baloda</td> <td>OA 147</td> <td>19.442</td> <td>19.442</td> </tr> <tr> <td colspan="5">For 43.942 Ha Revenue Forest Diversion proposal (Proposal No. FP/CG/MIN/41604/2019 dated 18.10.2019)</td> </tr> <tr> <td>Janjgir-Champa</td> <td>Baloda</td> <td>OA 153</td> <td>15.051</td> <td>15.051</td> </tr> </tbody> </table> <p>वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के.एम. एल संलग्न है। <b>अनुलग्नक -7</b></p>	Division	Range	Compartment No.	CA Area (Ha)	Area reported suitable for CA (Ha)	For 402.966 Ha Revenue Forest Diversion proposal (Stage-I FC No. 8-08/2018-FC) dated 26.04.2018					Janjgir-Champa	Baloda	OA 147	19.442	19.442	For 43.942 Ha Revenue Forest Diversion proposal (Proposal No. FP/CG/MIN/41604/2019 dated 18.10.2019)					Janjgir-Champa	Baloda	OA 153	15.051	15.051					
Division	Range	Compartment No.	CA Area (Ha)	Area reported suitable for CA (Ha)																												
For 402.966 Ha Revenue Forest Diversion proposal (Stage-I FC No. 8-08/2018-FC) dated 26.04.2018																																
Janjgir-Champa	Baloda	OA 147	19.442	19.442																												
For 43.942 Ha Revenue Forest Diversion proposal (Proposal No. FP/CG/MIN/41604/2019 dated 18.10.2019)																																
Janjgir-Champa	Baloda	OA 153	15.051	15.051																												
4	The State Govt. shall provide the details of coal evacuation plan and involvement of forest land, if any, shall be intimated.	<p>आवेदक विभाग द्वारा प्राप्त अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति संलग्न है। वन मंडलाधिकारी, कटघोरा द्वारा दिनांक 08.10.2023 को उक्त क्षेत्र का जांच उपरांत में पाया गया कि आवेदित राजस्व वनभूमि से कोल परिवहन प्रस्तावित नहीं है।</p> <p><b>अनुलग्नक -5</b> वन मंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2023 को उक्त क्षेत्र का जांच उपरांत पाया गया कि आवेदित राजस्व वन भूमि से कोल परिवहन प्रस्तावित नहीं है। कोयला परिवहन मौजूदा व्यपवर्तित राजस्व वन भूमि 402.966 हे. के निम्नानुसार खसरावार विवरण द्वारा किया जाना है जो कि 12.12.1996 से पूर्व उपयोग में लाया जा चुका है (प्रथम चरण स्वीकृति क्र. 0-08/2018-एफ.सी. दिनांक 26.04.2018)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No</th> <th>Village Name</th> <th>Khasra No.</th> <th>Affected Area</th> <th>Mode of Transport</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Durpa</td> <td>433/1</td> <td>13.2</td> <td>Rail, Road</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barpali</td> <td>249/1, 258, 13, 251/1</td> <td>36.740</td> <td>Rail, Belt, Road</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bakuta</td> <td>192/1, 192/2</td> <td>1.324</td> <td>Road</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gevra</td> <td>1, 128/2, 119, 133, 959, 1007</td> <td>29.836</td> <td>Road, Rail, Belt</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>81.10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S. No	Village Name	Khasra No.	Affected Area	Mode of Transport	1	Durpa	433/1	13.2	Rail, Road	2	Barpali	249/1, 258, 13, 251/1	36.740	Rail, Belt, Road	3	Bakuta	192/1, 192/2	1.324	Road	4	Gevra	1, 128/2, 119, 133, 959, 1007	29.836	Road, Rail, Belt	Total			81.10	
S. No	Village Name	Khasra No.	Affected Area	Mode of Transport																												
1	Durpa	433/1	13.2	Rail, Road																												
2	Barpali	249/1, 258, 13, 251/1	36.740	Rail, Belt, Road																												
3	Bakuta	192/1, 192/2	1.324	Road																												
4	Gevra	1, 128/2, 119, 133, 959, 1007	29.836	Road, Rail, Belt																												
Total			81.10																													

5	The details of the validity of the entire mining lease along with detailed chronology of approvals of the mining lease shall be submitted.	आवेदक संस्था को कुल भूमि अधिग्रहण CBA (A&D) अधिनियम 1957 के तहत ऑल राईट्स प्राप्त है एवं क्रोनोलॉजी संलग्न है। अनुलग्नक - 8
6	As per the DSS analysis, Hasdeo river is flowing within buffer of proposed forest patches for which the provisions of embankment have been proposed by the State Govt. However, comments of the Water Resource Department on the proposed measures and impact of the project on the hydrological regimes in the area have not been submitted. The same requires submission. Further the State Govt. is requested to furnish its comments for the requirement of any Soil Moisture Conservation plan wrt the instant proposal and other proposals in this mining lease.	आवेदक विभाग द्वारा लेख है कि खनन कार्य हसदेव नदी से 500 मीटर से अधिक दूरी में प्रस्तावित है और जल संसाधान विभाग का जवाब अप्राप्त है। जवाब प्राप्त होते ही अविलम्ब प्रेषित की जावेगी तत् संबंध में आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है। अनुलग्नक -9
7	Site suitability certificates from the DCF concerned, certifying the suitability of Degraded-Forest Land for raising CA, have not been uploaded online. the same needs to be uploaded in PARIVESH portal.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है।
08	Cost Benefit analysis indicating the CB ratio of 1:40 has been submitted the same needs to be revisited and estimated using appropriate techno-economic tools for estimation of all parameters and their discounting to arrive at same values of cost and future benefits. Further, as per the CB ratio submitted it has been observed that for possession value of forest land diverted NPV is been taken for 30%. In this regard the State Govt. shall offer its comments.	कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की सत्यापित प्रति नये दर से तैयार कर संलग्न है। अनुलग्नक -10
09	Satellite imagery shows the presence of settlement, industrial structure (existing as well as fresh construction), agriculture land and	कलेक्टर कोरबा के वन अधिकार प्रमाण पत्र के पत्र क्रमांक 519 दिनांक 17.02.2016 के बिंदु क्र. 05 में प्रमाणित है कि उक्त क्षेत्र में ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पीटीजी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है

	road is visible within the mining lease. The requires clarification and justification that why this may not be considered as violation of FCA, 1980.	जिनका वनअधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) अंतर्गत विशेषरूप से संरक्षित रखना है। वमअ, कटघोरा वन मंडल द्वारा दिनांक 08.10.2023 को निरीक्षण उपरांत आवेदक संस्था द्वारा बताया गया है राजस्व वनभूमि का अधिग्रहण 2010 एवं 2018 में किया गया है जो भी खेत, रोड एवं औद्योगिक संरचना, अतिक्रमण इत्यादि को कार्य प्रारंभ से पहले सर्वे एवं मुआवजा भुगतान कर पुर्नस्थापित किया जायेगा। कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
10	Out of total 87.955 ha degraded forest land identified of compensatory afforestation; 43 ha of land is classified as moderately dense forest. The same need to be revisited by the State Government.	मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग के पत्र दिनांक 17.10.2023 द्वारा खैरागढ़ वनमंडल में 47.884 हे. एवं कवर्धा वनमंडल में 40.000 हे. कुल 87.884 हे. क्षेत्र वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनीकरण के लिये प्रस्तावित बिगड़े वनभूमि के क्षेत्र का घनत्व 0.4 तक है एवं प्रस्तावित क्षेत्र विरल एवं अतिक्रमण रहित है तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये भूमि उपयुक्त है, जिसकी अनुशंसा की जाती है। अनुलग्नक -11

अतः संदर्भ पत्र-1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर से प्राप्त 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (2 प्रतियों में)

*Biswan*  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-271/2689  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 07/12/2023

1. वन महानिरीक्षक, (एफ.सी. डिवीजन), भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003.

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (1 प्रतियों में)

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
4. महा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

*Biswan*  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़